न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—338/2019/223 (2019/00338)

1. हरदेव पुत्र स्व0 चम्पा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी गली संख्या 5—डी, न्यू गोविन्द नगर,रामगंज, अजमेर ।
2. रामदेव पुत्र स्व0 चम्पा, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 मकान संख्या 906/22, साकेत नगर, रामगंज पुलिस थाने के पीछे, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. देवा पुत्र चम्पा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाबूथान, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 मकान नं0 910/22, साकेत नगर, रामगंज पुलिस थाने के पीछे, रामगंज, अजमेर ।

वादी/रेस्पोडेंटस

2. बिशनलाल पुत्र स्व0 नानू, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 विजयनगर रोड़, दादाबाडी के सामने, ब्यावर, तह ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. शीला पत्नि स्व0 बंशी, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 1236—बी श्रीनाथपूरम, वार्ड संख्या 4, कोटा, तह. एवं जिला कोटा ।
4. मोनू पुत्र स्व0 बंशी, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम पाबूथान, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल नि0 1236—बी, श्रीनाथपूरम, वार्ड सं0 4 कोटा, तह0 कोटा, जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 30.8.2017 अंतर्गत वाद संख्या 206/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एव प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 71 खसरा संख्या 291 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 292 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 298 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 342 रकबा 0.08 है0, खसरा संख्या 343 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 348 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 349 रकबा 0.23 है0, खसर संख्या 350 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 463 रकबा 0.37 है0, खसरा संख्या 486 रकबा 0.44 है0, खसरा संख्या 490 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 500 रकबा 0.11 है0, खसरा संख्या 501 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 502 रकबा 0.37 है0, खसरा संख्या 990 रकबा 0.23 है0, खसरा संख्या 991 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 1009 रकबा 0.43 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 3.85 है0 वाके ग्राम पाबूथान, तह0 पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी सहकाश्तकारी की आराजियात है, जो वादी एवं प्रतिवादीगकण संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं होने से कानूनन बंटवारा किया जाना आवश्यक है । वादग्रस्त आराजी के काश्त बाबत् आये दिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 30.8.2017 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व संपूर्ण दस्तावेज का बिना अवलोकन किये एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का बिना अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट की बिना प्रोपर तामील की कार्यवाही अपनाये ही दिनांक 30.8.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । दिनांक 5.6.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान किया गया, तत्पश्चात् प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 16.8.2017 को प्रतिवादी/अपीलांट की बिना प्रोपर तामील की कार्यवाही अपनाये ही तलबी बाबत् आदेश पारित किये गये इसके बाद आगामी पेशी अर्थात् तीसरी पेशी पर उक्त वाद ही विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने आपस में दुरभी संधि कर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है क्योंकि वादी ने वादपत्र में अपना एवं प्रतिवादीगण का बिना हिस्सा का निर्धारण किये एवं प्रतिवादी/अपीलांट के काबिजशुदा विकसित आराजी एवं अपीलांट के हिस्से की आराजी का कम रकबा अर्थात् हिस्सा कम कर डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकियात कायम अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर

अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2017 को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2016 पेज 409, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1147, आर0बी0जे0 2004 (11) पेज 286, आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 758, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 648, आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 588, सुप्रीम कोर्ट पेज 1993, आर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1143, आर0बी0जे0 1999 (6) पेज 426, आर0आर0डी0 1996 पेज 535, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 18, आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 394, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 972, आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 973 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2017 से पूर्व प्रस्तुत राजस्व वाद में प्रार्थी/अपीलांट को विधिक सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को निर्णय के समय नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को पटवारी हल्का से राजस्व अभिलेख लेने बाबत् दिनांक 13.9.2019 को संपर्क करने पर हुई । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 18.9.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अभिभाषक नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं काश्तकारी की आराजियात है जो अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण बिना सीमाज्ञान कराये अपने हिस्से से ज्यादा की भूमि पर बुवाई कर रहे है जिससे विवादित आराजियात का बंटवारा किया जाना आवश्यक है । यदि प्रतिवादीगण/अपीलांट वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित पैतृक आराजी से बेदखल कर देते है तो वादी को ही अपूर्णीय क्षति होगी । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर विधिसम्मत् रूप से बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित की है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 संयुक्त खातेदारी की आराजियात में अपने हिस्से का विधिक विभाजन कराने का अधिकारी है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे किन्तु इनके द्वारा लेने से इंकार किये जाने से अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1999 पेज 152, 173, 389 एवं आर0आर0डी0 1983 पेज 676 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण को तकीनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । उक्त सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना

तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाता है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 स्वंय उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है । इसलिये अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, किया गया कथन असत्य है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट के हिस्से में आराजी कम रखी गई है । इस संबंध में अपीलांट ने अपने अपीलमीमों में यह कहीं भी यह कथन नही किया है कि अपीलांट को बंटवारे में कितनी आराजी मिलनी चाहिये थी तथा अधी0न्याया0 द्वारा कितनी आराजी कम रखी है । इस संबंध में अपीलांट ने कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । केवल मात्र अपीलांट के कथनों के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री को विधिविरूद्ध नहीं माना जा सकता है । अपीलमीमों के कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने का दायित्व अपीलांट का है जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर